

## 10- पूरक दस्तावेज

मैं कि अ. पुत्र व. आयु ..... निवासी ..... जिसे मूल दस्तावेज .....में प्रथम पक्ष कहा गया है। एवं

ग. पुत्र घ. आयु ..... निवासी ..... जिसे मूल दस्तावेज ..... में द्वितीय पक्ष कहा गया है। चूंकि उक्त मूल दस्तावेज जिसका पंजीकरण उप निबन्धक कार्यालय .... तहसील... जनपद... में बही नम्बर-एक खण्ड... पृष्ठ... संख्या...दिनांक को हुआ है, मैं विक्रीत ..... के स्थान पर सहवन गलती से मकान नम्बर/खसरा नम्बर ..... के स्थान पर मकान नम्बर/खसरा नम्बर अंकित हो गया है जबकि वास्तविक रूप से निम्न अचल सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण किया गया है, न ही मैं उसका मालिक हूं। अचल सम्पत्ति का विवरण

पूर्व ..... उत्तर .....

पश्चिम ..... दक्षिण .....

रकबा/क्षेत्रफल

निर्माण का क्षेत्रफल (यदि कोई हो)

अतः उक्त पूरक दस्तावेज के माध्यम से मूल दस्तावेज को संशोधित किया गया है न कोई नया दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष.....

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष .....

साक्षीगण(नाम, पिता का नाम व पता)

(1).....

(2).....